श्री श्रीचन्द गोयल : कुछ मैम्बरों को आप कभी समय नहीं देते और कुछ को हमेशा देते हैं। यह क्या नीति है ? कुछ को आप हर बार समय देंगे और कुछ को आप दो-दो तीन-तीन दिन तक समय नहीं देते हैं। (**व्यवधान**)

श्री हुकम चन्द कछवाय : जब हम खड़े होते हैं तो हम को भी मौका मिलना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Goyal and Mr. Kachwai, at first, I thought I should ignore your remarks. You belong to a responsible party in the House. If you indulge in such remarks, I will have to take stern action.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कल भी ऐसा हुआ था और आज भी हुआ। आप ने एक घोषणा की कि आप एक-एक बार सब दलों को देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। आप की कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन मैम्बरों को भी यह सोचने का कारण है कि उनकी जान बूझ कर उपेक्षा की जा रही है। ऐसी धारणा नहीं पैदा होने दी जानी चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : At one time, two supplementaries took 20 minutes. What can I do ? I wanted to call Shri Prakash Vir Shastri. 20 minutes were exhausted in two supplementaries. That is the trouble.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मेरे नाम का उल्लेख किया है इस लिये मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि मेरा अपना यह अनुमान है कि जो इस सदन में शान्ति के साथ खड़े होकर कुछ पूछना चाहते हैं या वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं उनके लिये आप की ओर से कोई प्राथमिकता नहीं है। जब तक वह शोर शराबा नहीं मचाते तब तक आप सन्तुष्ट नहीं होते।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not fair. We now take up Call Attention notice. Shri Madhu Limaya.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Grant for Welfare Scheme for Harijans of Delhi

*933. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Administration has approached the Planning Commission for a provision of Rupees ten lakhs in Delhi's Plan for Welfare Schemes for Harijans ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (DR. SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) The Delhi Administration had approached the Planning Commission for an additional outlay of Rs. 326.00 lakhs, of which Rs. 10,00 lakhs was for the scheme of improvement of Harijan Bastis in rural areas of Delhi.

(b) A provision of Rs. 10.00 lakhs was made by the Ministry of Home Affairs in the Supplementary Grants of the Area Demand of Delhi for 1968-69, as grant-in-aid to the Delhi Municipal Corporation.

तोड़फोड़ की गतिविधियों के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हानि

*936. **श्री ओंकार सिंह :**
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तोड़ फोड़ की गतिविधियों के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों

का, उपक्रम-वार, कितनी हानि हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में किन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और पभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Representations from Station Masters and Assistant Station Masters

*937. SHRI SHRI CHAND GOYAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have received some representations from the Station Masters and the Assistant Station Masters' Association regarding their demands ; and

(b) if so, the steps taken by Government to meet the demands :

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) All these demands have been examined but could not be acceded to, except that the question of laying down a unified channel of promotion for them is already being examined in consultation with the Railway Administrations.

Also the question of providing some relief to staff who may have reached the maximum of their scales of pay is under consideration.

इस्पात के सौदों सम्बन्धी सरकार समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करना

*938. **श्री बलराज मधोक :**
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री रवि राय :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री 17 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 781 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन अधिकारियों को अब तक आरोप पत्र दिये गये हैं उन पर लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये और क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) सरकार समिति के प्रतिवेदन की अन्य सिफारिशों पर अब तक और क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जिन अधिकारियों को अब तक आरोप-पत्र दिये गये हैं उन पर आरोपों का ब्यौरा सभापटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिए** संख्या LT—640/69]

(ख) अनुशासनिक कार्यवाही करने का काम यथासम्भव केन्द्रित कर दिया गया है तथा एक वरिष्ठ अधिकारी को केवल इसलिये नियुक्त किया गया है जिससे कि कार्यवाही यथा शीघ्र की जाय ।

(ग) विधि मंत्रालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से मेसर्स रामकृष्ण कुलवन्त राय के विरुद्ध मानकीकृत संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । मेसर्स अमीचंद प्यारे-